2025/789

खातिब
09.1.2026

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मायावती बनाम औमप्रकाश आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 176 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
03.10.2025	प्रार्थीया मायावती की तरफ से वकील श्री सुरेन्द्र कुमार हुड्डा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण चक 5 के.एच.डी. के खाता संख्या 37/38 के प0नं0 229/50(10) के कि0नं0 2 ता 9, 12 ता 19, 21 ता 25 की कुल 5.3130 है0 अनकमाण्ड कृषि भूमि को रहन बैय करने से निषेद्ध रहें व अप्रार्थीगण रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्टर्ड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 06.11.2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
6.11.2025	पीठासीन अधिकारी अवकाश/अनुपस्थित/PO मीटिंग में है। पत्रावली एकलिख... तारीख 05.1.2026 को पेश हो।	
05.1.2026	पीठासीन अधिकारी अवकाश/अनुपस्थित/PO मीटिंग में व्यस्त है। पत्रावली ... तारीख 09.1.2026 को पेश हो।	
09.1.2026	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली से सम्बन्धित मूल दावा राजस्व... होने पर निर्णीत हो चुका है। अतः [illegible] में आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता [illegible] प्रार्थना पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2026.01.30 16:19:21 IST
Reason: SelfAttested